पत्र संख्या–कमिश्नर कैम्प/2018–19/ 1003 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिनांकः: लखनऊ :: दिसम्बर 22, 2018

विषयः आर0सी0 के माध्यम से विभागीय वसूली के 20 बड़े जनपदों में कराये गये निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के 75 जनपदों में से 20 बड़े जनपदों में विभागीय वसूली की प्रक्रिया प्रचलित है एवं प्रदेश के शेष 55 जनपदों में जिलाधिकारी के निर्देशन में राजस्व विभाग द्वारा बकाया वसूली की जा रही है। विभागीय बकाया वसूली के उक्त 20 बड़े जनपदों में मुख्यालय स्तर से अधिकारियों की टीमें गठित कर निरीक्षण कराया गया, निरीक्षण की समेकित आख्या निम्नवत् है:–

1– अभिलेखों के अनुसार बकाया की स्थिति

समस्त जोन से समय–समय पर प्राप्त विवरण के अनुसार प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 को बकाया वसूली की स्थिति निम्नवत है:–

(क) वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित वाणिज्य कर बकाया वर्ष 2016–17

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र0 सं0	मद	01.04.2016 से 31.03.2017 तक जारी वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित धनराशि	वसूली प्रमाण पत्रों से अनाच्छादित धनराशि	योग
1	एक अप्रैल को बकाया	11731.43	15457.15	27188.58
2	वर्तमान वित्तीय वर्ष में सृजित की गई माँग	5988.96	4299.35	10288.31
3	कुल माँग (1+2)	17720.39	19756.50	37476.89
4	मद 3 के विरुद्ध अपील आदि से कम हुई या बट्टे खाते में डाली गई कुल धनराशि	2027.27	4481.58	6508.85
5	मद–3 के विरुद्ध वसूल की गई कुल धनराशि	3006.09	747.81	3753.90
6	31 मार्च को अवशेष बकाया 3–(4+5)	12687.03	14527.11	27214.14
7	कोर्ट द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि	3526.83	6357.11	9883.94
8	शासन या अन्य प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि/अपरिपक्व माँग	786.51	8170.00	8956.51

9	सरकारी विभागों पर बकाया	494.51		494.51
10	निगम/अर्द्धसरकारी विभागों तथा सरकारी नियंत्रकों के अधीन फर्मो पर बकाया जिनकी वसूली में कठिनाई है।	105.43		105.43
11	न वसूल होने वाली धनराशि जिसे बट्टे खाते में डालना होगा।	1671.13		1671.13
12	शेष वसूली योग्य बकाया धनराशि 6–(7+8+9+10+11)	6102.62		6102.62
13	ट्रॉसपोर्टरों द्वारा देय धनराशि	53.16		53.16
14	लिक्वीडेशन में गई फर्मो/कम्पनी को देय धनराशि			0
15	अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि	1888.03		1888.03
16	वसूली योग्य शुद्ध बकाया 12–(13+14+15)	4161.43		4161.43

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फरवरी, 2018 में प्रकाशित 31 मार्च, 2017 तक के बकाये के विवरण उनके साहित्य/वार्षिक वित्तीय विवरण खण्ड–2 भाग–1 के तालिका 7.1.2 के क्रमांक 4 पर वाणिज्य कर बकाये का उल्लेख है। यह विवरण विभाग के एम0पी0आर0 के विवरण जो प्रतिवेदन में भी प्रकाशित हैं, के आधार पर बनाया गया है।

(ख) **वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित वाणिज्य कर बकाया वर्ष 2017–18**

(धनराशि रूपये करोड़ में)

क्र0 सं0	मद	1–4–2017 से 31.03.2018 तक जारी वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित धनराशि	वसूली प्रमाण पत्रों से अनाच्छादित धनराशि	योग
1	एक अप्रैल को बकाया	12687.03	14527.11	27214.14
2	वर्तमान वित्तीय वर्ष में सृजित की गई माँग	6945.75	7580.32	14526.07
3	कुल माँग (1+2)	19632.78	22107.43	41740.21
4	मद 3 के विरुद्ध अपील आदि से कम हुई या बट्टे खाते में डाली गई कुल धनराशि	4532.84	12570.67	17103.51
5	मद–3 के विरुद्ध वसूल की गई कुल धनराशि	2284.22	803.87	3088.09
6	31 मार्च को अवशेष बकाया 3–(4+5)	12815.72	8732.89	21548.61
7	कोर्ट द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि	2677.89	663.07	3340.96
8	शासन या अन्य प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि/अपरिपक्व माँग	1749.6	8069.82	9819.42
9	सरकारी विभागों पर बकाया	169.56		169.56
10	निगम/अर्द्धसरकारी विभागों तथा सरकारी नियंत्रकों के अधीन फर्मो पर बकाया जिनकी वसूली में कठिनाई है।	90.81		90.81
11	न वसूल होने वाली धनराशि जिसे बट्टे खाते में डालना होगा।	1795.94		1795.94
12	शेष वसूली योग्य बकाया धनराशि 6–(7+8+9+10+11)	6331.92		6331.92
13	ट्रॉसपोर्टरों द्वारा देय धनराशि	35.94		35.94
14	लिक्वीडेशन में गई फर्मो/कम्पनी को देय धनराशि			0
15	अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि	1865.71		1865.71
16	वसूली योग्य शुद्ध बकाया 12–(13+14+15)	4430.27		4430.27

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2018 को वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित बकाया मांग रू0 12815.72 करोड़ रूपये है।

2– बकाया वसूली हेतु निर्गत शासनादेश

विभागीय वसूली के सम्बन्ध में शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या–2144 दिनांक 06.06.1998 (संलग्नक–V-I-1) द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का अधिकार प्रतिनिधायन करते हुए विभागीय वसूली व्यवस्था प्रारम्भ की गयी। शासनादेश में अधिकारों के प्रतिनिधायन व सम्मन, कुर्की, नीलामी, गिरफ्तारी व अपलेखन के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है।

3– बकाया वसूली हेतु निर्गत परिपत्र

(i) विभाग द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर विभागीय निर्देश परिपत्रित किये गये हैं जिसमें बकाया वसूली के मामले में अतिमहत्वपूर्ण बिन्दु संयुक्त जांच एवं अपलेखन के सम्बन्ध में एक परिपत्र संख्या परिपत्र संख्या–1379/22.12.1997 (संलग्नक–V-I-2) है।

(ii) प्रदेश के 20 बड़े विभागीय वसूली जनपदों में व 55 राजस्व जनपदों में राजस्व विभाग द्वारा बकाया के वसूली प्रमाण पत्रों की शुद्धता हेतु अंकन एवं निस्तारण तथा उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की धारा 31/32 व 11/22 सूत्रीय, अपलेखन आदि के प्रभावी अनुश्रवण के लिए साफ्टवेयर के माध्यम से आर0सी0 के सृजन की व्यवस्था सम्बन्धी परिपत्र संख्या–26 दिनांक 13.04.2017 (संलग्नक–V-I-3) को जारी किया गया।

(iii) संग्रह अमीन, संग्रह पर्यवेक्षक, कर निर्धारण अधिकारी, कर वसूली अधिकारी राजस्व जनपदों के नामित नोडल अधिकारी, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), सरकारी विभागों/निगमों के लिए नामित अधिकारी नोडल अधिकारी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के कार्य एवं दायित्व सम्बन्धी परिपत्र संख्या–27 दिनांक 13.04.2017 (संलग्नक–V-I-4) द्वारा जारी किया गया है।

(iv) एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर नोएडा एवं समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को बकाया वसूली का कार्य प्रभावी तरीके से कराने हेतु परिपत्र संख्या–1302 दिनांक 08.03.2018 (संलग्नक–V-I-5) जारी किया गया है।

(v) समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली एवं समस्त राजस्व जनपदों के नोडल अधिकारी) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को पत्र संख्या–501 दिनांक 06.08.2018 (संलग्नक–V-I-6) द्वारा अपने जनपद में खण्डों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

4– समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देश/जारी कार्यवृत्त

मुख्यालय पर होने वाली समीक्षा बैठकों में एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)/कर वसूली अधिकारियों को समय-समय पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

प्रत्येक माह कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर की मासिक समीक्षा बैठक की जाती है, जिसमें बकाया वसूली सम्बन्धी भी निर्देश दिये गये हैं।

(i) दिनांक 03.04.2018 को कमिश्नर, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में मुख्यालय पर हुई समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उ0प्र0 की बैठक के जारी कार्यवृत्त पत्र संख्या-58 दिनांक 13.04.2018 (संलग्नक-V-I-7) में 13 बिन्दुओं पर की गयी चर्चा व दिये गये निर्देश में सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए बकाया वसूली के प्रारूप 1 व 2 परिशिष्ट को अपडेट करके दिनांक 16.04.2018 तक प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है जिससे महालेखाकार को वार्षिक प्रतिवेदन में बकाया की वास्तविक स्थिति प्रेषित की जा सके।

(ii) एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) की अध्यक्षता में मुख्यालय पर हुई समस्त कर वसूली अधिकारियों की बैठक के जारी कार्यवृत्त संख्या-187 दिनांक 23.05.2018 (संलग्नक-V-I-8) में बकाया वसूली किये जाने के निर्देश के साथ ही संयुक्त जांच/अपलेखन योग्य बकाया हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(iii) दिनांक 25.05.2018 को एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई बैठक में 55 राजस्व जनपदों में तैनात नोडल अधिकारियों के जारी कार्यवृत्त संख्या-211 दिनांक 29.05.2018 (संलग्नक-V-I-9) द्वारा बैठक में बकाया की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करके रू0 एक करोड़ से अधिक के बकायेदारों के मामले में मार्च, 2018 में कमिश्नर स्तर से जिलाधिकारियों को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र से अवगत कराते हुए अधिकाधिक वसूली के निर्देश दिये गये।

(iv) दिनांक 29.06.2018 को एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई बैठक में जारी कार्यवृत्त संख्या-386 दिनांक 05.07.2018 (संलग्नक-V-I-10) द्वारा समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली अधिकारी) को 6 बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(v) दिनांक 22.07.2017 की बैठक के जारी कार्यवृत्त पत्र संख्या-329 दिनांक 27.07. 2017 (संलग्नक-V-I-11) में निर्देशित किया गया कि खण्डों में बकाया के रजिस्टर आर-3, आर-27 व आर-5ए, आर-5बी का गहन अनुश्रवण करके जो आर0सी0 जारी नहीं हैं उसे तुरन्त जारी कराकर वसूली करायें एवं आर-3, आर-27 का मिलान प्राथमिकता से करें जिन मामलों में आर0सी0 के विरूद्ध बकाया जमा कराया/समाप्त हो चुका है उक्त वसूली प्रमाण पत्रों को माड्यूल से हटाने की नियमानुसार कार्यवाही करायी जाय।

25.(C)

(vi) दिनांक 20.09.2018 को कमिश्नर, वाणिज्य कर की अध्यक्षता में हुई बैठक के जारी कार्यवृत्त संख्या–725 दिनांक 08.10.2018 (संलग्नक–V-I-12) द्वारा 5 डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली अधिकारी) को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने एवं समस्त डिप्टी कमिश्नर कर वसूली अधिकारियों को निम्नवत निर्देश दिये गये –

(1) दिनांक 01.04.2018 को लम्बित कुल आर0सी0 की संख्या व धनराशि की जोनवार शुद्ध सूची दिनांक 15.10.2018 तक तैयार कराया जाय।

(2) वाणिज्य कर बकाये के मा0 न्यायालय से स्थगित वसूली प्रमाण पत्रों की अद्यतन सूची तैयार करके तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय तथा राजस्व हित में मा0 न्यायालय से स्थगित वसूली प्रमाण पत्रों में स्थगन निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

(3) बकाया वसूली हेतु अन्य प्रदेशों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली की समीक्षा हेतु नामित जोनल एडी0कमि0 से वसूली की अद्यतन स्थिति व अन्य प्रान्तों को प्रेषित वसूली प्रमाण पत्रों की प्रान्तवार सूची अविलम्ब मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(4) 11 सूत्रीय व 22 सूत्रीय में अपलेखन हेतु लम्बित मामले/धनराशि जब तक अपलेखित न हो जाय तब तक बकाया मानकर वसूली की कार्यवाही की जाय।

(5) वसूली प्रमाण पत्रों की सही–सही संख्या व उनमें निहित वास्तविक धनराशि ज्ञात न होने के बिन्दु पर आकड़ों की अशुद्धता के लिए सम्भागीय ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) को उत्तरदायी मानते हुए 15 दिन में शुद्धता की कार्यवाही पूर्ण कराकर, इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया।

(6) बकाया वसूली के MIS रिपोर्ट ज्वा0कमि0 (कार्य0) द्वारा लॉगिन किया जा रहा है अथवा नहीं, की स्थिति ज्ञात करके लॉगिन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध एक सप्ताह में कार्यवाही करायी जाय।

(vii) दिनांक 16.10.2018 को एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) की अध्यक्षता में हुई बैठक के जारी कार्यवृत्त संख्या–792 दिनांक 26.10.2018 (संलग्नक–V-I-13) द्वारा 11 बिन्दुओं पर 55 राजस्व जनपदों के नामित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

5– <u>बकाया वसूली में प्रगति हेतु पत्र व्यवहार</u>

(i) समस्त मण्डलायुक्तों को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.02.2018 (संलग्नक–V-I-14) के द्वारा उनके मण्डल में स्थित जनपदों में वाणिज्य कर बकाया से अवगत कराते हुए उक्त वाणिज्य कर बकाया वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

(ii) वाणिज्य कर बकाया वसूली में शिथिल जनपदों के जिलाधिकारियों को 75 अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 19.02.2018 (संलग्नक–V-I-15) के माध्यम से उनके जनपद की वाणिज्य कर बकाया की स्थिति से अवगत कराते हुए बकाया देयों की अधिकाधिक वसूली कराने का अनुरोध किया गया है।

28.09

(iii) सरकारी/अर्द्धशासकीय विभागों तथा निगमों पर वाणिज्य कर बकाया की स्थिति से सम्बन्धित 22 विभागीय प्रमुख/विभागाध्यक्ष को अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 01.02.2018 (संलग्नक–V-I-16) द्वारा उनके विभाग की वाणिज्य कर बकाया से अवगत कराते हुए इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

(iv) सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों एवं निगमों आदि पर रू0 एक करोड़ से अधिक के बकाया की वसूली हेतु 19 विभागों के विभागाध्यक्षों/विभाग प्रमुख को कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र के स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.10.2018 (संलग्नक–V-I-17) प्रेषित किया गया।

6–वीडियो कान्फ्रेन्स द्वारा अनुश्रवण

दिनांक 26.11.2018 को मुख्यालय में Skype के माध्यम से वीडियों कान्फ्रेसिंग से समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, उत्तर प्रदेश को वसूली प्रमाण पत्र सम्बन्धी अभिलेखों के मिलान व उनके बकाया की अधिकाधिक वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया है।

7–जोन से प्राप्त मासिक प्रगति विवरण वर्ष 2018–19

वर्ष 2018–19 में समस्त जोनों से प्राप्त मासिक प्रगति विवरणानुसार वसूली प्रमाण पत्रों में निहित बकाया व वसूली की स्थिति निम्नवत् है:–

माह–अप्रैल 2018

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.04.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदों से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	9946	8941.3	383	261.65	9014	8374.62	549	305.03
2	अलीगढ़	18138	19776.47	207	226.82	9832	11943.34	8099	7606.31
3	प्रयागराज	6763	14335.04	191	131.46	1122	12001.72	5450	2201.86
4	बरेली	7319	19422.88	258	250.6	2398	17082.88	4663	2089.4
5	बिजनौर	6287	10767.4	45	63.82	4391	9116.53	1851	1587.05
6	बुलन्दशहर	18027	32272.47	183	93.23	10639	29561.35	7205	2617.89
7	इटावा	1647	5570.3	46	87.68	530	4164.24	1071	1318.38
8	अयोध्या	8513	6577.29	121	34.32	375	1435.82	8017	5107.15
9	गौतमबुद्ध नगर	41164	314701.1	568	2374.09	39212	309974.3	1384	2352.76
10	गाजियाबाद	29969	217696.6	533	699.19	17432	205081.1	12004	11916.31
11	गोरखपुर	18885	20184.13	162	79.16	2428	4786.34	16295	15318.63
12	झांसी	3151	20855.58	23	5.72	1278	19965.82	1850	884.04
13	कानपुर	11599	47036.52	370	433.82	10581	46074.86	648	527.84
14	लखनऊ	7634	258704.1	500	621.03	4679	251973.9	2455	6109.15
15	मेरठ	33185	37386.59	153	267.79	12794	29233.39	20238	7885.41
16	मुरादाबाद	4815	9154.81	157	116.49	526	8328.39	4132	709.93
17	मुजफ्फरनगर	3528	6892.57	81	126.5	961	4369.4	2486	2396.67

18	सहारनपुर	12638	23248.04	149	102.88	2898	21480.84	9591	1664.32
19	सोनभद्र	4692	5226.28	25	18.92	4008	4251.34	659	956.02
20	वाराणसी	6214	17105.45	180	563.94	355	818.61	5679	15722.9
	योग	**254114**	**1095855**	**4335**	**6559.11**	**135453**	**1000019**	**114326**	**89277.05**

माह—मई 2018

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.06.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदो से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	11132	12883.57	767	1547.25	9804	10945.44	561	390.88
2	अलीगढ़	18138	19776.47	207	226.82	9832	11943.34	8099	7606.31
3	प्रयागराज	7155	16967.47	351	1488.82	1295	12588.63	5509	2890.02
4	बरेली	7650	20494.21	543	522.76	2428	17257.34	4679	2714.11
5	बिजनौर	6349	10259.88	89	118	4424	8514.8	1836	1627.08
6	बुलन्दशहर	8978	16170.51	325	164.5	1468	13227.16	7185	2778.85
7	इटावा	1656	5588.1	67	119.22	530	4164.24	1059	1304.64
8	अयोध्या	8587	6651.48	287	68.43	502	2057.9	7798	4525.15
9	गौतमबुद्ध नगर	41164	314701.1	568	2374.09	39212	309974.3	1384	2352.76
10	गाजियाबाद	33426	248355	1236	2341.77	18062	225789.7	14128	20223.53
11	गोरखपुर	19747	20911.09	270	174.25	4624	8503.15	14853	12233.69
12	झांसी	3153	21258.04	69	421.94	1312	20021.49	1772	814.61
13	कानपुर	12425	48541.97	872	876.61	10784	47069.77	769	595.59
14	लखनऊ	8479	262900.6	983	134580.3	4959	124199.6	2537	4120.66
15	मेरठ	33477	39090.8	360	575	13188	31205.41	19929	7310.39
16	मुरादाबाद	5418	10640.37	295	191.03	678	8980.99	4445	1468.35
17	मुजफ्फरनगर	2489	6851.94	154	306.63	866	4420.77	1469	2124.54
18	सहारनपुर	12909	23971.77	298	442.11	2934	21696.01	9677	1833.65
19	सोनभद्र	4714	5829.9	43	449.1	4112	4524.77	559	856.03
20	वाराणसी	6649	20344.46	381	571.45	581	9641.22	5687	10131.79
	योग	**253695**	**1132189**	**8165**	**147560.1**	**131595**	**896726**	**113935**	**87902.63**

(धनराशि रू0 लाख में)

माह—जुलाई 2018

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.07.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदो से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	9946	8941.3	383	261.65	9014	8374.62	549	305.03
2	अलीगढ़	18138	19776.47	207	226.82	9832	11943.34	8099	7606.31

)C.(C)

3	प्रयागराज	6763	14335.04	191	131.46	1122	12001.72	5450	2201.86
4	बरेली	7319	19422.88	258	250.6	2398	17082.88	4663	2089.4
5	बिजनौर	6287	10767.4	45	63.82	4391	9116.53	1851	1587.05
6	बुलन्दशहर	18027	32272.47	183	93.23	10639	29561.35	7205	2617.89
7	इटावा	1647	5570.3	46	87.68	530	4164.24	1071	1318.38
8	अयोध्या	8513	6577.29	121	34.32	375	1435.82	8017	5107.15
9	गौतमबुद्ध नगर	41164	314701.1	568	2374.09	39212	309974.3	1384	2352.76
10	गाजियाबाद	29969	217696.6	533	699.19	17432	205081.1	12004	11916.31
11	गोरखपुर	18885	20184.13	162	79.16	2428	4786.34	16295	15318.63
12	झांसी	3151	20855.58	23	5.72	1278	19965.82	1850	884.04
13	कानपुर	11599	47036.52	370	433.82	10581	46074.86	648	527.84
14	लखनऊ	7634	258704.1	500	621.03	4679	251973.9	2455	6109.15
15	मेरठ	33185	37386.59	153	267.79	12794	29233.39	20238	7885.41
16	मुरादाबाद	4815	9154.81	157	116.49	526	8328.39	4132	709.93
17	मुजफ्फरनगर	3528	6892.57	81	126.5	961	4369.4	2486	2396.67
18	सहारनपुर	12638	23248.04	149	102.88	2898	21480.84	9591	1664.32
19	सोनभद्र	4692	5226.28	25	18.92	4008	4251.34	659	956.02
20	वाराणसी	6214	17105.45	180	563.94	355	818.61	5679	15722.9
	योग	254114	1095855	4335	6559.11	135453	1000019	114326	89277.05

माह–अगस्त 2018

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.08.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदों से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	13481	18220.24	2646	3120.4	10499	14399.5	336	700.34
2	अलीगढ़	17284	21157.22	1034	1118.32	8692	15361.84	7558	4677.06
3	प्रयागराज	7472	19420.93	872	1907.95	1431	12001.72	5169	5511.26
4	बरेली	7961	26862.69	1149	1773.31	2358	20875.33	4454	4214.05
5	बिजनौर	7724	14501.54	265	333.2	364	13021.11	17895	1147.23
6	बुलन्दशहर	9808	19130.24	868	607.05	1459	13982.84	7481	4540.35
7	इटावा	2787	10615.97	213	298.86	1155	8408.39	1419	1908.72
8	अयोध्या	9129	9737.13	596	131.7	753	5283.84	7780	4321.59
9	गौतमबुद्ध नगर	48216	396974.8	2719	15163	42530	378096	2967	3715.82
10	गाजियाबाद	33734	292330.6	2928	5164.24	18555	278035	12251	9131.3[illegible]
11	गोरखपुर	20798	24234.56	751	858.51	9377	11811.12	10670	11564.9[illegible]
12	झांसी	2267	8361.3	128	57.95	365	3153.85	1774	5149.[illegible]
13	कानपुर	14943	51548.95	2115	1924.45	11157	48383.4	1671	1241.[illegible]
14	लखनऊ	11809	283930.3	2402	137558.4	5500	140125.3	3907	6246.6[illegible]
15	मेरठ	36140	47555.38	855	1296.12	13762	34836.39	21523	11422.8[illegible]

JC.(C)

16	मुरादाबाद	7305	16888.45	945	646.18	1378	15758.88	4982	483.39
17	मुजफ्फरनगर	4989	14621.98	779	854.14	1942	7952.74	2268	5815.1
18	सहारनपुर	11702	27765.03	1023	944.57	5109	25420.98	5570	1399.48
19	सोनभद्र	1786	2098.33	149	138.01	79	369.79	1558	1590.53
20	वाराणसी	13614	53122.61	2072	6238.52	2038	11004.73	9504	35879.36
	योग	**282949**	**1359078**	**24509**	**180134.9**	**138503**	**1058283**	**130737**	**120660.7**

माह–सितम्बर 2018

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.09.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदों से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	12925	17334.9	2527	2097.36	10106	15369.43	292	-131.89
2	अलीगढ़	17284	21157.22	1034	1118.32	8692	15361.84	7558	4677.06
3	प्रयागराज	7472	19420.93	872	1907.95	1429	17001.72	5171	5511.26
4	बरेली	5836	19303.58	904	1466.13	1967	14325.33	2965	3512.12
5	बिजनौर	7724	14501.54	265	333.2	5674	13021.11	1785	1147.23
6	बुलन्दशहर	9808	19130.24	868	607.05	1502	14316.2	7438	4206.99
7	इटावा	2787	10615.97	213	298.86	1155	8408.39	1419	1908.72
8	अयोध्या	9129	9737.13	596	131.7	753	5283.84	7780	4321.59
9	गौतमबुद्ध नगर	11684	130631.94	556	2783.36	10639	127474.21	489	374.37
10	गाजियाबाद	37543	304892.89	3154	5415.76	19592	284528.83	14797	14948.3
11	गोरखपुर	6381	6874.16	187	175.11	2660	3849.15	3534	2849.9
12	झांसी	2267	8361.3	128	57.95	365	3153.85	1774	5149.5
13	कानपुर	14943	51548.95	2115	1924.45	11157	48383.4	1671	1241.1
14	लखनऊ	11809	283930.33	2402	137558.4	5499	140125.27	3908	6246.66
15	मेरठ	36040	47552.35	855	1296.12	12535	33388.13	22650	12868.1
16	मुरादाबाद	7305	16888.45	945	646.18	1378	15758.88	4982	483.39
17	मुजफ्फरनगर	4989	14612.91	734	832.67	1904	7824.21	2351	5956.03
18	सहारनपुर	11702	27765.03	1021	933.69	5109	25420.98	5572	1410.36
19	सोनभद्र	1474	2133.8	95	79.32	59	324.47	1320	1730.01
20	वाराणसी	13358	43334.34	2053	6139.7	2003	15859.34	9302	21335.3
	योग	**232460**	**1069727.96**	**21524**	**165803.28**	**104178**	**809178.58**	**106758**	**99746.1**

माह–अक्टूबर 2018

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	दिनांक 01.10.2018 को कुल आच्छादित बकाया		वसूली		समस्त मदों से कमी		शुद्ध वसूली योग्य बकाया	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	आगरा	12240	18042.27	3047	3627.21	8814	13819.94	379	595.12
2	अलीगढ़	16494	18938.1	1363	1532.5	9823	13783.35	5308	3622.25
3	प्रयागराज	9043	22965.04	944	3281.93	1948	14395.12	6151	5287.99
4	बरेली	10629	30731.15	1744	2135.77	3374	24311.13	5511	4284.25

5	बिजनौर	7251	13351.79	412	425.42	5565	12487.36	1274	439.01
6	बुलन्दशहर	11421	21375.31	1321	805.75	1630	16433.06	8470	4136.5
7	इटावा	1360	5487.83	127	156.78	720	4368.02	513	963.03
8	अयोध्या	9497	10471.06	809	173.4	927	6947.45	7761	3350.21
9	गौतमबुद्ध नगर	48495	406375.8	5403	22896.18	42158	383145.1	934	334.48
10	गाजियाबाद	14213	108561	1765	4504.13	4655	96910.45	7793	7146.45
11	गोरखपुर	24418	26966.27	1036	1113.49	10703	20193.73	12679	5659.05
12	झांसी	2482	8487.22	251	93.84	831	3970.33	1400	4423.05
13	कानपुर	16585	55076.93	2956	2872.61	12201	51065.72	1428	1138.6
14	लखनऊ	15402	540510.2	3216	142290.4	5933	388698.1	6253	9521.79
15	मेरठ	37025	50987.1	1283	1900.11	15576	41681.83	20166	7405.16
16	मुरादाबाद	12418	25398.67	1316	862.59	3860	23524.61	7242	1011.47
17	मुजफ्फरनगर	5216	15466.39	863	1129.1	2150	9665.32	2203	4671.97
18	सहारनपुर	11795	28397.2	1255	1082.51	4828	25454.64	5712	1860.05
19	सोनभद्र	1606	1901.64	213	298.65	183	628.08	1210	974.91
20	वाराणसी	14801	58765.88	2166	3320.05	3373	27805.42	9262	27640.41
	योग	**282391**	**1468257**	**31490**	**194502.4**	**139252**	**1179289**	**111649**	**94465.75**

वर्ष 2018–19 में समस्त जोनों से प्राप्त उपरोक्त मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्येक जोन में माह के अन्त में अवशेष शुद्ध वसूली योग्य बकाया व माह के प्रारम्भ में कुल आच्छादित बकाया में काफी बड़ी धनराशि का अन्तर है जिसके सम्बन्ध में मासिक बैठकों/प्रपत्रों एवं यहा तक कि निरीक्षण के समय भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है।

<u>8–संतोषजनक कार्य न पाये जाने पर की गयी कार्यवाही</u>

मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने के कारण 5 कर वसूली अधिकारियों को ''विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि'', 21 राजस्व जनपदों के नोडल अधिकारियों को ''कठोर चेतावनी'' व 20 राजस्व जनपदों के नोडल अधिकारियों को ''सचेत'' किया गया।

9– निरीक्षण

(i) उपर्युक्त निर्देशों/कार्यवाही के पश्चात भी वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या व धनराशि में अन्तर के दृष्टिगत माह नवम्बर, 2018 में प्रत्येक विभागीय वसूली के जनपदों में मुख्यालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों की निरीक्षण टीम गठित करके निरीक्षण कराया गया।

(ii) संतोषजनक परिणाम प्राप्त न होने पर व बैठकों में अधिकारियों द्वारा स्थिति स्पष्ट न किये जाने पर मुख्यालय के पत्र संख्या–754 दिनांक 11.10.2018 (संलग्नक–V-I-18) को विभागीय वसूली करने वाले जनपदों में से बड़े बकाया

वाले 3 जनपदों (लखनऊ, गाजियाबाद एवं मुरादाबाद) हेतु निम्न प्रकार टीमें गठित की गयी :–

टीम–अ

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री शैलेश गिरी	एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वा0क0 मुख्यालय
2	श्री शिव कुमार तिवारी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
3	श्री संत शरण	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
4	श्री सी0एल0 उमराव	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, कानपुर
5	श्री सौरभ गुप्ता	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, मुरादाबाद

टीम–ब

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री गुलाब चन्द्र	ज्वाइण्ट कमिश्नर (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
2	श्री योगेश कुमार सिंह	असिस्टेंट कमिश्नर (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
3	श्री अखिलेश द्विवेदी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
4	श्रीमती शमा परवीन	वाणिज्य कर अधिकारी (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
5	श्रीमती मीना वजीरानी	वाणिज्य कर अधिकारी (संग्रह) वा0क0 मुख्यालय
6	श्री निहाल सिंह	वरिष्ठ लेखा परीक्षक, फैजाबाद

(iii) दिनांक 23.10.2018 को निरीक्षण हेतु लखनऊ मण्डल कार्यालय गयी मुख्यालय की टीमों का निरीक्षण करने पर कर्मचारियों द्वारा विरोध किया गया। निरीक्षण में विरोध करने वाले कर्मचारियों को चिहिन्त कर कार्यवाही करने को निर्देश दिये गये हैं।

(iv) निरीक्षण के परिणाम चौकाने वाले रहे। कई वसूली प्रमाण पत्र तथा पत्रावलियॉ कार्यालय में उपलब्ध नहीं बतायी गयी। एम0पी0आर0 में मासिक रूप से प्रेषित किये जाने वाले विवरण अभिलेखीय आधार पर प्रेषित करना नहीं पाया गया।

(v) पत्र संख्या–889 दिनांक 26.11.2018 को मुख्यालय स्तर से 18 टीमों का गठन करके विभागीय वसूली के शेष 18 जनपदों में बकाया का निरीक्षण कराया गया। मुख्यालय द्वारा गठित टीम का विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	जनपद	निरीक्षण अधिकारी का नाम	पदनाम
1	लखनऊ	श्री शैलेश गिरि	एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय
		श्री गुलाब चन्द्र	ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय
2	गाजियाबाद	डॉ0 बुद्धेश मणि	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर, आगरा
		श्री गुलाब चन्द्र	ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय
3	गोरखपुर	श्री0 ए0के0सिंह	ज्वाइन्ट कमिश्नर (सम्पत्ति) वाणिज्य कर, मुख्यालय
4	मुरादाबाद	श्री कृष्ण प्रताप	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, मुजफ्फरनगर
5	कानपुर	श्री गुलाब चन्द्र	ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर, मुख्यालय
6	प्रयागराज	श्री के0के0 श्रीवास्तव	ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्य कर, मुख्यालय

28(C)

7	सहारनपुर	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, प्रथम, मेरठ
8	अयोध्या	श्री आनन्द पाण्डेय	ज्वाइन्ट कमिश्नर (निरीक्षण) वाणिज्य कर, मुख्यालय
9	आगरा	श्री देव मणि शर्मा	ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, लखनऊ जोन प्रथम लखनऊ
10	झांसी	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, पंचम, कानपुर
11	मुजफ्फर नगर	श्री अरविन्द कुमार	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, प्रथम, नोएडा
12	नोएडा	श्री इन्द्र प्रकाश तिवारी	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, चतुर्थ, लखनऊ
13	मेरठ	श्री प्रदीप कुमार सिंह	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, द्वितीय, मुरादाबाद
14	बरेली	श्री धीरेन्द्र प्रताप	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, इटावा
15	वाराणसी	श्री राजीव मणि त्रिपाठी	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, प्रथम, फैजाबाद
16	अलीगढ़	श्री डी0के0 सचान	ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय
17	सोनभद्र	श्री अमर नाथ यादव	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, द्वितीय, वाराणसी
18	इटावा	श्री सभाराज मौर्या	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, प्रथम, आगरा
19	बुलन्दशहर	श्री उदय प्रताप सिंह	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, प्रथम, गाजियाबाद
20	बिजनौर	श्री अवधेश कुमार सिंह	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 अपील, सहारनपुर

9– मुख्यालय द्वारा गठित टीमों की आख्याएं प्राप्त हुई :–

1.	गाजियाबाद	(पत्र संख्या–मेमो / दिनांक 27.11.2018)	(संलग्नक–V-II-1)
2.	लखनऊ	(पत्र संख्या–970 / दिनांक 14.12.2018	(संलग्नक–V-II-2)
3.	गोरखपुर	(पत्र संख्या–748 / दिनांक 03.12.2018)	(संलग्नक–V-II-3)
4.	मुरादाबाद	(पत्र संख्या–722 / दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-4)
5.	कानपुर	(पत्र दिनांक 03.12.2018)	(संलग्नक–V-II-5)
6.	प्रयागराज	(पत्र संख्या–145 / दिनांक 06.12.2018)	(संलग्नक–V-II-6)
7.	सहारनपुर	(पत्र संख्या–351 / दिनांक 06.12.2018)	(संलग्नक–V-II-7)
8.	अयोध्या	(पत्र संख्या–830 / दिनांक 06.12.2018)	(संलग्नक–V-II-8)
9.	आगरा	(पत्र संख्या–183 / दिनांक 06.12.2018)	(संलग्नक–V-II-9)
10.	झांसी	(पत्र दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-10)
11.	मुजफ्फरनगर	(पत्र संख्या–783 / दिनांक 03.12.2018)	(संलग्नक–V-II-11)
12.	नोएडा	(पत्र संख्या–335 / दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-12)
13.	मेरठ	(पत्र संख्या–190 / दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-13)
14.	बरेली	(पत्र संख्या–330 / दिनांक 06.12.2018)	(संलग्नक–V-II-14)
15.	वाराणसी	(पत्र संख्या–118 / दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-15)
16.	अलीगढ़	(पत्र दिनांक–535 दिनांक 12.12.2018)	(संलग्नक–V-II-16)
17.	सोनभद्र	(पत्र संख्या–514 / दिनांक 07.12.2018)	(संलग्नक–V-II-17)
18.	इटावा	(पत्र संख्या–514 / दिनांक 07.12.2018)	(संलग्नक–V-II-18)
19.	बुलन्दशहर	(पत्र संख्या–568 / दिनांक 07.12.2018)	(संलग्नक–V-II-19)
20.	बिजनौर	(पत्र संख्या–90 / दिनांक 05.12.2018)	(संलग्नक–V-II-20)

2८.(c)

उपरोक्त समस्त निरीक्षण आख्याएं कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के ई–मेल (cctup2013@gmail.com) पर उपलब्ध है।

10–निरीक्षण का परिणाम

उक्त समस्त टीमों द्वारा सम्बन्धित जोन के निरीक्षण के पश्चात् बकाया वसूली की ऑन लाइन तथा एम0पी0आर0 के आधार पर स्थिति निम्नवत् है:–

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ब्यास सेन्ट्रल पर प्राप्त आर0सी0 की संख्या व धन0 का योग		एम0पी0आर0 विवरण से प्राप्त आर0सी0 की संख्या व धन0 का योग		आर–27 विवरण से प्राप्त आर0सी0 की संख्या व धन0 का योग		ब्यास सेन्ट्रल से आर–27 का अन्तर	
		सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0
1	गाजियाबाद	53949	9672.25	32638	2459.3	36244	2820.83	17705	6851.42
2	लखनऊ	53033	1752.32	12876	5233.46	9533	868.84	43500	883.48
3	गोरखपुर	37481	669.88	16391	200.18	28117	446.84	9364	223.04
4	मुरादाबाद	13026	211.03	19716	320.16	13026	211.03	0	0
5	कानपुर	45091	1443.87	17137	693.4	13812	759.84	31279	684.03
6	प्रयागराज	30483	1247.84	6263	278.34	11759	284.05	18724	963.79
7	सहारनपुर	23664	411.03	14280	299.6	14280	299.6	9384	111.43
8	फैजाबाद	11592	141.67	9497	104.71	9497	104.71	2095	36.96
9	आगरा	32308	471.49	9751	158.71	11422	170.31	20886	301.18
10	झांसी	9480	220.38	2859	72.04	2859	72.04	6621	148.33
11	मुजफ्फर नगर	20407	408.24	5013	165.54	5013	165.54	15394	265.43
12	नोएडा	72313	7415.16	51161	4392.96	51161	4392.96	21152	3022.19
13	मेरठ	35455	560.89	35663	497.04	36658	523.7	-1203	-5.53
14	बरेली	20652	1506.31	11299	315.79	5754	48.38	14898	1457.92
15	वाराणसी	27285	476.03	24969	392.73	24969	392.73	2316	83.45
16	अलीगढ़	24113	305.13	18924	234.74	18403	227.85	5710	77.28
17	सोनभद्र	2836	86.47	1631	14.25	2023	52.97	813	33.5
18	इटावा	3339	114.67	1360	54.97	679	14.58	2660	100.09
19	बुलन्दशहर	22249	489	17065	271.36	17065	271.36	5184	217.64
20	बिजनौर	7479	177.71	7251	133.52	7251	133.52	228	40.19
	योग	**546235**	**27781.37**	**315744**	**16292.8**	**319525**	**12261.68**	**226710**	**15495.82**

निष्कर्ष

निरीक्षणोपरान्त प्राप्त उक्त स्थिति व निरीक्षण आख्याओं के विश्लेषण से निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु प्रकाश में आये हैं:–

1. मुख्यालय स्तर पर समस्त जोन से प्राप्त एवं संकलित सूचना अनुसार वर्ष 2017–18 में कुल आच्छादित बकाया धनराशि रू0 19632.78 करोड़ थी जिसमें से रू0 2284 करोड़ धनराशि वसूल की गयी है। अवशेष धनराशि के विवरण एवं उनके सत्यापन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः मासिक प्रपत्रों में दर्शित वास्तविक मांग का सत्यापन नहीं किया गया है।

2. समस्त जोनों से प्राप्त सूचना अनुसार वर्ष 18–19 में दि0 01.04.2018 को वसूली हेतु अवशेष बकाया मांग रू0 12815.72 करोड़ दर्शायी गयी है। वित्तीय वर्ष 18–19 में सृजित मांग सम्मिलित करते हुए कुल मांग के विवरण का सत्यापन निरीक्षण आख्या में उपलब्ध नहीं है।

3. वर्ष 2018–19 में वैट लेखा शीर्ष 0040 में नॉन जी0एस0टी0 संग्रह (पेट्रोल, डीजल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, लीकर) के अतिरिक्त रू0 4055.82 करोड़ प्राप्त हुआ है तथा रू0 365.09 करोड़ का रिफण्ड हुआ है। इस प्रकार बकाया वसूली की धनराशि रू0 4420.91 करोड़ है तथा प्रवेश कर बकाया की सभी जोन में जमा धनराशि नवम्बर, 2018 तक रू0 3699.19 करोड़ की है। अतः वसूली प्रमाण पत्रों के माध्यम से नियमित बकाया रू0 721.72 करोड़ की धनराशि जमा हुई है। जबकि समस्त जोनों द्वारा प्रेषित मासिक विवरण में यह धनराशि रू0 3531.61 करोड़ दर्शायी गई है।

4. दिनांक 01.04.2018 को अवशेष बकाया मांग में वर्ष 18–19 में माह नवम्बर, 2018 तक सृजित नई मांग को भी सम्मिलित करते हुए अद्यतन कुल मांग की धनराशि व उससे सम्बन्धित पत्रावलियों/अभिलेखों का सत्यापन किये जाने की विस्तृत जानकारी निरीक्षण आख्या में नहीं है।

5. समस्त 20 विभागीय वसूली के जनपदों के निरीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि किसी भी खण्ड में अभिलेखों का रख–रखाव ठीक नहीं है। आर–3 व आर–27 व अमीन के डिमाण्ड रजिस्टर पर कोई मासिक/वार्षिक समरी नहीं बनायी जा रही है अर्थात ऑकड़े बिना किसी आधार के प्रेषित किये जा रहे हैं। व्यास सेन्ट्रल व एम0पी0आर0 5-2A, 2B, 2C में दिखायी जा रही बकाया में से बहुत सी बकाया ऐसी है जिसमें न तो आर0सी0 है और न ही उनकी पत्रावलियॉं खण्ड में मौजूद हैं।

6. आर–3 व आर–27 में कोई मासिक व वार्षिक समरी नहीं बनायी गयी है। किसी भी स्तर के अधिकारियों द्वारा कभी कोई निरीक्षण किया जाना अभिलेख पर नहीं पाया गया। प्रत्येक माह व वर्ष में कितनी नई आर0सी0 जारी हुई, कितनी में वसूली की कार्यवाही पूर्ण की गई, कितनी अवशेष है, इस प्रकार की कोई समरी अभिलेखों में नहीं पायी गई। अमीनों के स्तर पर वसूली की कार्यवाही का क्रमिक विवरण दर्ज करने के लिए बनाये गये रजिस्टर को भी किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

जब तक बकाया के अभिलेखों की मासिक/वार्षिक समरी नहीं बनायी जाती तब तक ऑकड़ों की शुद्धता सम्भव नहीं है। वर्तमान में जो ऑकड़ें एम0पी0आर0 में प्रेषित किये जा रहे हैं, वे अभिलेखों के आधार पर नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं।

7. संग्रह इकाईयों में ट्रांसपोर्टरों की बकाया से सम्बन्धित पत्रावलियॉं या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा अपूर्ण हैं जिनमें सम्पूर्ण कार्यवाहियॉं दर्ज नहीं हैं जबकि उक्त मद में प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 को रू0 35.94 करोड़ की धनराशि बकाया है।

8. लगभग सभी संग्रह इकाईयों में विगत कई वर्षो से न तो संयुक्त जांच की जा रही है और न ही अपलेखन की कार्यवाही की गयी है और न ही अभिलेखों का नियमित निरीक्षण व रख–रखाव सुनिश्चित किया जा रहा है जबकि उक्त मद में प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 को रू0 1795.94 करोड़ की धनराशि बकाया है।

9. आर–27 में दर्ज पुराने मामलों का मिलान व्यास सेन्ट्रल पर उपलब्ध पुरानी आर0सी0 रिपोर्ट से किया गया जिसमें पाया गया कि बहुत सारे पुराने बकाया के मामलों को ऑनलाइन फीड नहीं किया गया है। पूछने पर बताया गया कि बकाया के जिन मामलों में पत्रावली उपलब्ध नहीं थी उन्हें ऑनलाइन फीड नहीं किया गया है। इस प्रकार अभी भी आर–27 में ऐसी बकाया धनराशि है जिसका विवरण व्यास सेन्ट्रल पर फीड नहीं किया गया है।
10. असत्यापित बहती के मामलों में जहॉं पर कर निर्धारण का अधिकार सचल दल इकाईयों को दिया गया है वहॉं पर न तो कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी है और न ही वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
11. लखनऊ के खण्ड 14, 15 व 16 तथा प्रयागराज के खण्ड–13 में अधिकांश पत्रावलियॉं उपलब्ध नहीं पायी गयी। बताया गया कि आग लग जाने के कारण सभी रिकार्ड पत्रावलियॉं, समस्त अभिलेख (आर–3, आर–27) नष्ट हो गये हैं।
12. अन्य प्रान्तों को जारी आर0सी0 के सम्बन्ध में कोई अद्यतन कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है जबकि प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 को रू0 1865.74 करोड़ तथा दिनांक 01.11.2018 तक रू0 6123.27 करोड़ की धनराशि उक्त मद में बकाया है।
13. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/निगम तथा सरकारी नियंत्रकों के अधीन फर्मों पर प्रदेश में दिनांक 01.04.2018 को रू0 260.37 करोड़ की धनराशि बकाया है।
14. प्रदेश में शासन या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थगित/निलम्बित धनराशि/अपरिपक्व मांग रू0 1749.60 करोड़ है जबकि निरीक्षण आख्या में इसका उल्लेख नहीं है।
15. विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में आर–27 में दर्ज पत्रावलियों की संख्या के बराबर निरीक्षण में पायी गयी पत्रावलियों का उल्लेख किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि निरीक्षण गुणवत्तापरक नहीं किया गया है। अधिकांश टीमों द्वारा खण्डाधिकारियों से हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त कर आख्या प्रस्तुत की गई है।
16. खण्डाधिकारी के अलावा अन्य पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा भी बकाया के अभिलेखों को निरीक्षण के समय अवलोकित करने का प्रमाण नहीं मिला है। इस प्रकार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा भी समय–समय पर किये गये निरीक्षणों में उपरोक्त अभिलेखों को अवलोकित किया गया होता तो शायद स्थिति बेहतर होती।
17. संग्रह अमीनों/खातापालकों चार्ज लेने देने की प्रक्रिया की मानीटरिंग नहीं की जा रही है।
18. प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा मा0 उच्च न्यायालय व मा0 उच्चतम न्यायालय में भारी संख्या में मामले लम्बित दिखाये जा रहे हैं जिनका सत्यापन भी पत्रावलियों से अपेक्षित है।
19. जो पत्रावलियां कार्यालय में मौजूद नहीं हैं, उनमें किसी के विरूद्ध विगत में कोई कार्यवाही की गई हो, का साक्ष्य नहीं मिला। पत्रावलियों को ढूंढ़ने का किया गया प्रयास संतोषजनक नहीं है।
20. बकाया वसूली का सत्यापन कोषागार से नियमित रूप से कराया जा रहा है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति पत्रावली पर स्पष्ट नहीं है।
21. प्रत्येक जोन के 10 सबसे बड़े बकायेदारों/वसूली प्रमाण पत्रों तथा 10 सबसे वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण से प्राप्त स्थगन सम्बन्धी प्रकरणों की सूची के सम्बन्ध में भी मासिक बैठकों एवं प्रपत्रों में यही स्थिति बनी हुई है।

इस प्रकार मुख्यालय स्तर से गठित टीमों द्वारा समस्त जोनों में वसूली प्रमाण पत्रों में निहित बकाया धनराशि/वसूल की गई धनराशि सम्बन्धी अभिलेखों के निरीक्षणोपरान्त अत्यंत गंभीर स्थिति सामने आयी है। सम्भाग स्तर पर उक्त कार्य हेतु उत्तरदायी ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त कर दी गई है, जिसके विलोपन के सम्बन्ध में उनके द्वारा अभिलेखों का समुचित रख रखाव करने तथा व्यास पोर्टल व आर–27 (वसूली प्रमाण पत्रों व उनमें निहित धनराशि) अद्यतन कर पत्रावलियों से मिलान कराये जाने पर ही विचार किया जाना उचित होगा।

विदित है कि वसूली प्रमाण पत्रों में बकाया की बड़ी धनराशि निहित है जिसका प्रदेश के राजस्व संग्रह पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः खण्डवार बकाया वसूली सम्बन्धी अभिलेखों/पत्रावलियों की वित्त एवं लेखा/आडिट/राजस्व अधिकारियों की टीम गठित कर निरीक्षण करते हुए आख्या कमिश्नर, वाणिज्य कर को उपलब्ध कराने हेतु सभी 20 जनपदों के जिलाधिकारियों को दिनांक 11.12.2018 को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

अभिलेखों के अत्यन्त अव्यवस्थित रख रखाव तथा व्यास पोर्टल तथा आर–27 रजिस्टर के निरीक्षणोपरान्त 2,26,710 वसूली प्रमाण पत्रों तथा उनमें निहित 15,495.82 करोड़ रूपये की धनराशि के अन्तर की गंभीरता के दृष्टिगत प्रकरण की विशेष सम्परीक्षा कराये जाने की संस्तुति की जाती है। विशेष सम्परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना संलग्न है।

<u>संलग्नकःयथोक्त।</u>

भवदीया,
K 22/12/18
(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

2 ५ (C)